फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चन्देल निवासी अम्बिका चौक, जल चक्की, कॉकरोली, जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 35/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 11.08.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः सू0अ0,05/2020/1337–38 दिनांक 06.08.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.04.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को (कोविड–19 लोकडाउन होने से दिनांक 20.03.2020 के पश्चात लोकडाउन खुलने के बाद दिनांक 10.07.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 06 तक चाही गई सूचना के संबंध में आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने पर जो बिन्दु प्रार्थी द्वारा वर्णित किये गये हैं। उनमें काल्पनिकता के प्रश्न स्पष्ट विशिष्टियॉ एवं स्पष्ट ब्यौरे का उल्लेख नही किया गया हैं, इसमें चाही गई जानकारी 3rd पार्टी से संबंधित है जिसमें सैकडों 3rd पार्टीयॉ सम्मिलित हैं। जिनके नाम, पते, मोबाइल नम्बर एवं फोटोग्राफ की निजी सूचना बिना उनकी सहमति के नही दी जा सकती। साथ ही सैकडों 3rd पार्टी से सम्पर्क कर सहमति लेकर समस्त बिन्दुओं की सूचना इक्ठठा कर प्रदान करना अपने आप में एक विशालकाय कार्य है, जिससे सूचना तक पहूॅच नही बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार आवेदन पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नही हैं। इस कारण से कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र को पत्रीत करते हुए, आरटीआई की धारा 7(8)(1) के तहत प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1313 दिनांक 30.07.2020 से सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी	

कार्यालय जिला कलक्टर

द्वारा चाही गई वांछित सूचना तक पहूँच बनाया जाना संभव नही होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निरस्त कर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)